# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 91/2021** **दायरा दिनांक : 03.07.2019**

**उनवान**

कन्हैयालाल पुत्र श्री प्रभूलाल जाति मीणा निवासी सीमलिया तहसील मॉगरोल जिला बारां राज0

.... अपीलांट

**बनाम**

1. राधेश्याम पुत्र मूलीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बालापुरा तहसील मॉगरोल जिला बारां
2. ओमप्रकाश पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी ग्राम बालापुरा तहसील मॉगरोल जिला बारां
3. गोमदीबाई पत्नि सीताराम जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील मॉगरोल जिला बारां
4. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार मॉगरोल

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बी.एल.जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय** **दिनांक : 27.01.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल के प्रकरण संख्या 409/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय मॉगरोल मे एक वाद अंतर्गत धारा 188 राज0 टी0 एक्ट धारा 109, 110, 111 व 136 ले0 रे0 एक्ट वास्ते नक्शा दुरूस्ती इन्दाज का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी/रेस्पो0 कम 1 व 2 को मिसल नंबर 90 दिनांक 14/06/1969 आंवदन केचमेण्ट माल बमोरी शिविर मे बालापुरा तहसील मॉगरोल जिला बारां मे साबिक खसरा नंबर 226/2 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा भूमि आवंटित हुई और उसी के अनुरूप दिनांक 6/11/1970 को साबिक नक्शा ट्रेस के मुताबिक कब्जा व दखल दिया। उक्त आवंटित भूमि का नामान्तरण नं0 394 से दिनांक 21/12/2004 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये तथा उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 486 रकबा 1.06 हेक्टेयर खसरा नंबर 487 रकबा 0.13 हेक्टेयर, खसरा नंबर 488 रकबा 0.18 खसरा नंबर 489 रकबा 0.11 हेक्टेयर, खसरा नंबर 493 रकबा 0.15 हेक्टेयर, खसरा नंबर 494 रकबा 1.42 हेक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 3.22 हेक्टेयर कायम किये गये व वाद पत्र के साथ वादीगण द्वारा आवंटन व विक्रय भूमि का विवरण भी फोटो कॉपी दिनांक 9/3/1988 दखलनामा 6/11/1970 ग्राम बालापुरा खसरा नंबर 226/2 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2054–63 नक्शा ट्रेस प्रस्तुत कर प्रार्थना की गई कि प्रतिवादी कम 1/अपीलान्ट नक्शे को बदलवाकर उसकी आराजी पर कब्जा करना चाहता है अतः उसके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे व साबिक खसरा नंबर 226/2 व 226/3 के नजरी नक्शा दुरूस्त किया जाकर वर्तमान नक्शे को अवैध व शून्य घोषित किया जावे। जिस पर बाद सुनवायी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14/2/2019 को निर्णय पारित कर डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी मान्यता प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की एक्सपार्टी किये बिना व उसे सुनवायी एवं साक्ष्य का उचित अवसर दिये बिना उक्त निर्णय एकपक्षीय रूप से पारित किया है, जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट/रेस्पो0 दिनांक 29/8/2016 को उपस्थित हो गया था। उसके

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्धअधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

पश्चात वह बीमार हो जाने से उपस्थित अदालत हाजा नही हो पाया था तथा उसका जवाब 19/4/2018 को उसके जवाब को बन्द कर पत्रावली साक्ष्य वादी मे नियत कर बाद साक्ष्य वादीगण निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है दिनांक 19/04/2018 को अपीलांट का जवाब बन्द किया गया जो बिना उसकी सहमति व सूचना के व उचित अवसर दिये बिना की गई कार्यवाही थी ना ही उपस्थिति बाबत अपीलान्ट के आदेशिका पर कोई हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद मे मुख्य रूप से नक्शा दुरूस्ती की प्रार्थना की गई है जिसके लिए पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट, जवाब राज्य सरकार, व साक्ष्य में पटवारी को परीक्षित किया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना हल्का पटवारी की मौके की वस्तुस्थिति से अवगत हुए बिना मात्र वादीगण/रेस्पो0 कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधारपर बिना किसी विवेचन के निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट/प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था तो अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण/रेस्पो0 कम 1 व 2 द्वारा राजीनाम व हल्का पटवारी से पैमाइश के आधार पर मुकदमे का निर्णय करने का आश्वासन दिया गया था परन्तु उसको भ्रम मे रखकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित करवाया गया है व उसे अपनी जवाबदेही एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर नहीं मिला है अतः निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2019 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.06.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया । ये दावा 109, 110, 111, 136, 188 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में लेकर आये हैं । सेक्शन 109 में राईट है भू अभिलेख अधिकार को । सेक्शन 110 में सर्वेक्षण बाबत व सेक्टशन 111 में सीमाओं के बारे में नक्शे व कब्जा काश्त के आधार पर है । धारा 136 में उपखण्ड अधिकारी को उन गलतियों को सुधारने के राईट हैं जो दौराने सैटलमेंट हुई । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी आवंटी से खरीदी थी । खसरा नम्बर 226/3 दिनांक 3.3.83 को 5 बीघा 2 बिस्वा आवंटित हुई । बजरंग लाल ने कब्जा करना बताया जो आवश्यक पक्षकार था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार नहीं बनाया फिर ये कहते हैं कि हमारे इन खसरों के बीच अपीलांट ने कब्जा कर रखा है । हमारे विरूद्ध टी आई जारी कर दी । हमारे नये नम्बर 491/896 रकबा 0.82 हेक्टर की जमाबंदी पेश की है हम अपनी आराजी पर नहीं जा पा रहे हैं । हमें पटवारी ने जहां बताया वहां काश्त कर रहे हैं । निर्णय विधि विरुद्ध है । पटवारी तहसीलदार के जवाब व मौका रिपोर्ट से तय होगा । अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि ये 15.06.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए । इसके बाद में पेशी पर नहीं आये । हमने सरकार को पार्टी बनाया है जवाब सरकार देगी । इनको आपत्ति करने का अधिकार नहीं है । धारा 109, 110, 111 को सुनने का अधिकार संभागीय आयुक्त को है धारा 188 की अपील आर ए ए में चलेगी । यदि इनको अपने खेत में जाने में आपत्ति है तो ये रास्ता धारा 251 ए के तहत कायम करवाये । अतः अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

(जितेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर दिनांक 29.08.2010 को अपीलांट (प्रतिवादी संख्या 1) के हस्ताक्षर हैं । दिनांक 19.04.2018 को प्रतिवादीगण जवाब पेश नहीं करना चाहते । अतः जवाब प्रतिवादी बन्द किया जाता है । इसके पश्चात् प्रतिवादी की उपस्थिति अनुपस्थिति बाबत कोई अंकन आदेशिका में नहीं है, न ही आदेशिका में प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का अंकन है इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर तो दिया गया लेकिन उसकी अनुपस्थिति पर उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही भी नहीं की गई । अतः प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं देने में त्रुटि की गई है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2019 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.05.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा